अपीलीय सिविल

माननीय न्यायमूर्ति *शमशेर बहादुर और आर. एस. नरूला के समक्ष*

नंद लाल और अन्य,—*अपीलकर्ता.*

बनाम

ग्राम सभा जंती कलां व अन्य,—*प्रतिवादी*

1964 की नियमित प्रथम अपील संख्या 143

17 फरवरी, 1969.

पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम (1961 का XVIII) - धारा 2 (जी) - "नदी कार्रवाई" - जिसका अर्थ है - बाढ़ के कारण नदी के पानी के नीचे आने वाली भूमि - ऐसी भूमि - चाहे वह नदी कार्रवाई के अधीन हो।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि "नदी क्रिया" शब्द आमतौर पर 'क्षरण', 'अभिवृद्धि' और 'आक्षेप' शब्द द्वारा अपनी प्रकृति के अनुसार योग्य है। 'अपरदन' और 'अभिवृद्धि' शब्द उस प्रक्रिया पर लागू होते हैं जिसके द्वारा एक स्थान पर नदी के प्रवाह द्वारा चैनल में भूमि को चूसा जाता है और उसकी सेवानिवृत्ति से दूसरी जगह ताजा भूमि को उजागर किया जाता है। शब्द 'आक्षेप' बताता है कि क्या होता है जब एक संपत्ति का हिस्सा नदी के मुख्य चैनल के दाएं से बाएं किनारे तक पहचानने योग्य स्थिति में स्थानांतरित होता है या *इसके विपरीत।*

(पैरा 6)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1954 या पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1961 में इसके विपरीत कोई वैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण, ऐसी भूमि जो एलुवियन, डिल्यूवियन या आक्षेप के अधीन नहीं है, लेकिन जो केवल एक वर्ष में कुछ अवधि के दौरान बाढ़ के कारण नदी के पानी के अधीन आती है, उसे पंजाब ग्राम सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1961 की धारा 2 का खंड (जी) के पहले अपवाद के अर्थ के भीतर "नदी कार्रवाई" के अधीन नहीं कहा जा सकता है।

(पैरा 6)

सोनीपत के प्रथम श्रेणी के उप-न्यायाधीश श्री प्रीतपॉल सिंह की अदालत की डिक्री दिनांक 31 मार्च, 1964 से नियमित प्रथम अपील।

गंगा प्रसाद जैन, जी. सी. गर्ग और सत्य प्रकाश जैन, वकील, अपीलकर्ताओं के लिए।
पी. एस. दौलता, वकील उत्तरदाताओं के लिए।

निर्णय

1. माननीय न्यायमूर्त आर. एस. नरूला- पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट (1961 का 18) (जिसे बाद में 1961 का एक्ट कहा जाता है) की धारा 2 के क्लॉज (जी) में निहित "नदी कार्रवाई" शब्द के पहले अपवाद के रूप में उपयोग किए गए शब्द "नदी कार्रवाई" का सही दायरा और सही निर्माण श्री प्रीतपाल सिंह की अदालत के फैसले और डिक्री के खिलाफ इस नियमित प्रथम अपील में निर्णय की मांग करता है। अधीनस्थ न्यायाधीश, प्रथम श्रेणी, सोनीपत,

दिनांक 31 मार्च, 1964। इस अपील को जन्म देने वाले भौतिक तथ्य विवाद में नहीं हैं और इस स्तर पर ध्यान दिया जा सकता है।

2. जांटी खुर्द और जंटिया कलां गांवों में एक आम ग्राम पंचायत और ग्राम सभा है जिसे ग्राम पंचायत जांटी कलां और ग्राम सभा जांटी कलां के नाम से जाना जाता है। उक्त गांव के शामिल्लत देह के भाग के रूप में गांव जांती खुर्द, तहसील सोनीपत, जिला रोहतक के क्षेत्र में स्थित 590 कनाल 13 मरला की कृषि भूमि को संबंधित राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था। उक्त भूमि का पूरा हिस्सा वादी-अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी-प्रतिवादी नंबर 10 के सह-हिस्सेदारों के रूप में कब्जे में था और अब भी है। पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स (रेगुलेशन) एक्ट, 1953 (1954 का 1) (इसके बाद 1954 एक्ट कहा जाता है) के लागू होने के बाद, विवादित भूमि का स्वामित्व गांव जांटी कलां की ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज किया गया था, और उस प्रविष्टि के संबंध में म्यूटेशन नंबर 146 को 10 फरवरी, 1955 को मंजूरी दी गई थी। 16 मार्च, 1963 को, अपीलकर्ताओं ने मुकदमा दायर किया, जिससे सोनीपत में अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत में इस आशय की घोषणा के लिए यह अपील उत्पन्न हुई है कि वादी-अपीलकर्ता और प्रतिवादी/प्रतिवादी नंबर 10 वाद में भूमि के पूर्ण मालिक थे (जिसका विवरण वाद के पैराग्राफ 2 में दिया गया है), और यह कि उक्त भूमि से संबंधित कोई अधिकार ग्राम पंचायत में निहित नहीं था और इसलिए, प्रतिवादी-प्रतिवादी 1 से 9 को वादी को जबरन या किसी अन्य माध्यम से भूमि से बेदखल करने का कोई अधिकार नहीं था। जिन विभिन्न आधारों पर पंचायत में विवादित भूमि के निहित होने से छूट का दावा किया गया था (हालांकि शामिलत देह के एक हिस्से के रूप में दर्ज किया गया था), वाद के पैराग्राफ 4 में निर्धारित किया गया था। उन मैदानों में से, केवल पहला और दूसरा मैदान अब प्रासंगिक है। ये नीचे दिए गए हैं-:

    a) " जांटी खुर्द एक अलग गांव नहीं है, बल्कि एक पना है, यानी गांव जांटी कलां का उप-विभाजन है। उक्त गांव जमुना नदी के तट पर स्थित है। सूट की जमीन सहित गांव का पूरा क्षेत्र हर साल जमुना नदी के पानी से भर जाता है। बाढ़ के कारण, गांव के क्षेत्र में पानी और तनुकरण होता है। विवादित भूमि के साथ-साथ गांव का अन्य क्षेत्र जमुना नदी की कार्रवाई के अधीन रहता है। विवाद वाली भूमि को राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह, तालाब या खेल के मैदान या किसी भी सामान्य उद्देश्य के लिए आरक्षित के रूप में दर्ज नहीं किया जाता है, बल्कि इसे शमिलत देह के रूप में दर्ज किया जाता है।
    b) वादी और प्रतिवादी संख्या 10 26 जनवरी, 1950 से पहले से मुकदमे में भूमि पर खेती कर रहे हैं- यहां तक कि कई बार भी वे अपने हिस्से से अधिक भूमि के कब्जे में नहीं रहे हैं। भूमि राजस्व उस भूमि पर लगाया जाता है, जिस पर मुकदमा चलाया जाता है।"

3. मुकदमे का प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 9 तक विरोध किया गया था, जो ग्राम सभा और जांटी कलां गांव की ग्राम पंचायत और उक्त पंचायत के विभिन्न सदस्य हैं। पक्षकारों की दलीलों से, ट्रायल कोर्ट ने पहले मुकदमे की विचारणीयता से संबंधित कुछ प्रारंभिक मुद्दों को तैयार किया, जिन्हें 20 अगस्त, 1963 को ट्रायल कोर्ट के आदेश द्वारा वादी-अपीलकर्ताओं के पक्ष में निपटाया गया था। 21 अगस्त, 1963 को गुण-दोष के आधार पर निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:-

    I. "क्या वादी मुकदमे में भूमि के कब्जे में मालिक हैं?
    II. क्या वाद में उल्लिखित कारणों से गांवों में गठित ग्राम पंचायत में भूमि निहित नहीं है?
    III. क्या वादी को उनके कृत्यों और आचरण से इस मुकदमे को लाने से रोका जाता है"

अपील के तहत अपने फैसले से ट्रायल कोर्ट ने माना कि वादी विवादित भूमि के कब्जे में थे। 1961 अधिनियम की धारा 2 (जी) के पहले अपवाद के तहत दावे को खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह माना गया था कि भूमि "नदी कार्रवाई" के अधीन नहीं थी। धारा 2 के खंड (जी) के अपवाद (viii) के तहत वादी-अपीलकर्ताओं के दावे को उस भूमि के संबंध में अनुमति दी गई थी जो उस अपवाद की आवश्यकताओं को पूरा करती थी। नतीजतन, जैसा कि दावा किया गया है, भूमि के उस हिस्से के संबंध में प्रतिवादी-प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के खिलाफ वादी-अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक घोषणात्मक डिक्री पारित की गई थी, जिस पर अपवाद (viii) लागू होता है, लेकिन शेष भूमि के संबंध में मुकदमा खारिज कर दिया गया था। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया गया था।

4. ट्रायल कोर्ट के डिक्री से असंतुष्ट, वादी इस अपील में मुद्दा संख्या 2 पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को चुनौती देने के लिए आए हैं। 1954 के अधिनियम की धारा 3 में यह प्रावधान है कि किसी भी गांव के शमिलात देह में शामिल भूमि में जो भी अधिकार, शीर्षक और हित हैं, वे नियत तारीख को गांव पर अधिकार क्षेत्र वाली पंचायत में निहित होंगे। उपर्युक्त प्रावधान के तहत विवादित भूमि को प्रतिवादी-पंचायत में निहित माना गया था। 1954 के अधिनियम में "शमिलात देह" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था। 1961 के अधिनियम की धारा 2 (जी) में "शमिलात देह" को भूमि की पांच अलग-अलग श्रेणियों को शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया था, जब तक कि उन भूमि का कोई भी हिस्सा परिभाषा में बनाए गए नौ अपवादों में से किसी एक या अधिक के भीतर नहीं आता है। यह कहने के बाद कि "शमिलात देह" में पांच प्रकार की भूमि शामिल है, धारा 2 (जी) प्रदान करती है

   लेकिन इसमें भूमि शामिल नहीं है

   i. जो नदी की कार्रवाई के कारण शमिलात देह बन जाता है या बन गया है या राजस्व रिकॉर्ड में शामिलात देह को छोड़कर नदी की कार्रवाई के अधीन गांवों में शमिलात के रूप में आरक्षित किया गया है;
   ii. से (vii)
   iii. शमिलात देह का मूल्यांकन भू-राजस्व के रूप में किया गया था और 26 जनवरी, 1950 को या उससे पहले ऐसे शामिलात देह में सह-हिस्सेदारों के कब्जे में नहीं था;

   नहीं तो यह पहले ही इस न्यायालय की एक खंडपीठ (महाजन, जे. और मैं) द्वारा लखी राम बनाम लखी राम मामले में आयोजित किया जा चुका है। ग्राम पंचायत गुदाह (1), कि 1961 के अधिनियम में निहित शमिलात देह की परिभाषा 1954 के अधिनियम में उपयोग की जाने वाली "शमिलात देह" अभिव्यक्ति पर पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होती है।

5. अपवाद (viii) के तहत शामिल्लत देह के रूप में माने जाने से छूट प्राप्त भूमि की सीमा के बारे में विद्वान ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष पर इस अपील में किसी भी पक्ष द्वारा हमारे समक्ष सवाल नहीं उठाया गया है। इस अपील में हमें जिस एकमात्र प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए बुलाया गया है, वह यह है कि क्या शेष भूमि को अपवाद (i) के तहत छूट दी गई है या नहीं। जिन तथ्यों के आधार पर यह निर्णय दिया जाना है, वे अब विवाद में नहीं हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि विचाराधीन भूमि का कोई भी हिस्सा या तो जलोढ़ या कमजोर पड़ने या आक्षेप के अधीन नहीं है। रोजनामचा वकियाती में विभिन्न प्रविष्टियों की प्रतियों में निहित दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित होता है कि नदी का पानी मानसून के दौरान विवादित भूमि में बाढ़ लाता है, लेकिन बाढ़ के बाद कम हो जाता है, और इस तरह खड़ी फसलों को नुकसान होता है, यदि कोई हो। अपीलकर्ताओं के अनुसार यह अपने आप में "नदी की कार्रवाई" के बराबर है। दूसरी ओर, प्रतिवादियों का मामला यह है कि नदी द्वारा भूमि की छिटपुट बाढ़ भूमि को "नदी की कार्रवाई" के अधीन नहीं बनाती है। क्या विवाद में भूमि को पहले अपवाद के तहत छूट दी गई है

I.L.R. (1968) 1 Pb. & Hra. 301^1968 P.L.R. 106,

ऊपर उल्लिखित या नहीं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर निर्भर करेगा:-

i. क्या बाढ़ के दौरान केवल नदी के पानी से ढकी भूमि को "नदी कार्रवाई" के अधीन कहा जा सकता है या नहीं? और

ii. यदि पहले प्रश्न का उत्तर हां में है, तो क्या विचाराधीन भूमि "नदी की कार्रवाई के कारण शमीलत देह बन गई"?

iii. नहीं तो क्या विवादित जमीन को 'शामिलत के रूप में आरक्षित' कर दिया गया है, जो 'नदी की कार्रवाई के अधीन' है?

बेशक, किसी भी पक्ष द्वारा यह दावा नहीं किया जाता है कि विवाद में शमिलात देह को राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह, तालाब या खेल के मैदान के रूप में दर्ज किया गया था।

6. "नदी कार्रवाई" वाक्यांश को न तो 1954 के अधिनियम में परिभाषित किया गया है, न ही 1961 के अधिनियम में। 1931 में संशोधित पंजाब भूमि प्रशासन मैनुअल के पैराग्राफ 409 से 411 में सर जेम्स मैकसी डौई, के.सी.एस.आई., आई.सी.एस. द्वारा संकलित; यह कहा गया है कि:-

> (409) "रिवेराइन कानून नदी कार्रवाई की भूमि में अधिकारों पर प्रभाव से संबंधित है, जो आमतौर पर कटाव, अभिवृद्धि और आक्षेप शब्दों द्वारा अपनी प्रकृति के अनुसार योग्य है। फिर यह कहा जाता है कि "क्षरण" और "अभिवृद्धि" शब्द उस प्रक्रिया पर लागू होते हैं जिसके द्वारा एक स्थान पर नदी के प्रवेश द्वारा चैनल में भूमि को चूसा जाता है और उसकी सेवानिवृत्ति से दूसरे स्थान पर ताजा भूमि उजागर होती है। "इस प्रकार होने वाले नुकसान और लाभ को क्रमशः कमजोर पड़ने और जलोढ़ के रूप में वर्णित किया गया है। (पैराग्राफ 410)। उपरोक्त संकलन के पैराग्राफ 411 में "आक्षेप" शब्द यह वर्णन करने के लिए कहा गया है कि पंजाब में क्या होता है जब एक संपत्ति का हिस्सा नदी के मुख्य चैनल के दाएं से बाएं किनारे तक पहचानने योग्य स्थिति में स्थानांतरित किया जाता है या इसके विपरीत। एक बार फिर अपीलकर्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि यदि "नदी कार्रवाई" शब्द का अर्थ सर जेम्स मैकसी डौई द्वारा उनके उपर्युक्त संकलन में तथाकथित तक ही सीमित है, तो मुद्दा संख्या 2 के इस हिस्से पर ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष सही है। अपीलकर्ताओं के वकील श्री गंगा प्रसाद जैन ने हालांकि तर्क दिया कि 1961 के अधिनियम में इस्तेमाल किए गए "नदी कार्रवाई" शब्द के अर्थ में आयात करने के लिए कोई वारंट नहीं है, उस वाक्यांश का सीमित अर्थ जिसे सर जेम्स मैकसी डौई ने अपने संकलन में समर्थन दिया था। हम श्री गंगा प्रसाद जैन के इस निवेदन से सहमत नहीं हैं। सर जेम्स मैकसी डौई द्वारा दिया गया "नदी कार्रवाई" का विवरण और परिभाषा (जैसा कि ऊपर संदर्भित है) हमारी राय में, इसके विपरीत किसी भी वैधानिक प्रावधान के अभाव में सभी प्रकार की नदी कार्रवाई को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक है। चूंकि 1954 के अधिनियम या 1961 के अधिनियम में ऐसा कोई सांविधिक प्रावधान नहीं है, इसलिए हम यह मानते हैं कि जो भूमि एक वर्ष में कुछ अवधि के दौरान बाढ़ के कारण केवल नदी जल के अंतर्गत आती है, उसे 1961 अधिनियम की धारा 2 के खंड (जी) के पहले अपवाद के अर्थ के भीतर नदी कार्रवाई के अधीन नहीं कहा जा सकता है।

7. इसके अलावा, इस मामले के रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि विचाराधीन भूमि नदी की कार्रवाई के अधीन होने के कारण शामिलत देह बन गई। किसी भी भूमि को पहले वैधानिक अपवाद के भीतर लाने के लिए नदी की कार्रवाई और शामिलात देह के हिस्से के रूप में भूमि बनने को कारण और प्रभाव के रूप में जोड़ा जाना चाहिए। इस

मामले के रिकॉर्ड में अपवाद (i) की प्रयोज्यता के लिए उस शर्त की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए, अपीलकर्ताओं को इस छोटे से आधार पर विफल होना चाहिए, भले ही हम यह मान लें कि भूमि की बाढ़ इसे नदी की कार्रवाई के अधीन कर देगी। अपीलकर्ताओं ने पहले अपवाद के दूसरे भाग के तहत ट्रायल कोर्ट में कोई विशिष्ट दावा नहीं किया। यहां तक कि अगर उन्हें अब ऐसा करने की अनुमति दी जाती है, तो प्रश्न संख्या 12 के लिए हमारा उत्तर है। (iii) मेरे द्वारा ऊपर दिया गया प्रश्न अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भी होगा क्योंकि उनकी याचिका में इस आशय की कोई दलील नहीं है कि विचाराधीन भूमि गांव में शमीलत के रूप में "आरक्षित" थी। वाद पत्र में केवल इतना कहा गया है कि भूमि को शमीलत के रूप में "प्रवेश" किया गया है। इसलिए, हम मुद्दे संख्या 2 पर ट्रायल कोर्ट के पूरे निष्कर्ष को बरकरार रखते हैं।

8. श्री जैन ने तब यह तर्क देने की कोशिश की कि अपीलकर्ताओं को इस स्तर पर पहली बार यह दलील उठाने की अनुमति दी जानी चाहिए कि वे विवादित भूमि के प्रतिकूल कब्जे के कारण उनके द्वारा दावा की गई घोषणा के हकदार हैं। हम विद्वान वकील के इस अनुरोध को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि इस तरह की तथ्य की दलील को अपील में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब इसे दलीलों में नहीं उठाया गया था और इसे न तो ट्रायल कोर्ट में मुद्दे में डाला गया था और न ही नीचे अदालत के फैसले में निपटाया गया था।
9. अपीलकर्ताओं द्वारा इस मामले में कोई अन्य बिंदु नहीं दिया गया है, अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। मामले की परिस्थितियों में, कभी भी, पार्टियों को अपनी लागत को वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

माननीय न्यायमूर्ति शमशेर बहादुर - मैं सहमत हूँ।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हिमांशु जांगड़ा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी